Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में उप निदेशक आयुर्वेद को 4 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **भरतपुर में थाना जुरहरा के हैड कानिस्टेबल को 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **गंगानगर में जल संसाधन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को 1500 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **जयपुर में नगर निगम हैरिटेज के कम्प्यूटर ऑपरेटर को 6 सौ रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **समस्त आरोपीगण के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 फरवरी।* **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो** द्वारा आज गुरूवार को प्रदेशभर में चार स्थानों पर पृथक–पृथक कार्यवाही करते हुये भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जैसलमेर के उप निदेशक आयुर्वेद डॉ. रोशनलाल द्वारा बिल पास कराने की एवज में 4 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक **पुलिस श्री अनिल पुरोहित एवं उनकी टीम द्वारा** सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते डॉ. रोशनलाल पुत्र श्री देवीराम शर्मा निवासी नानक विहार, रामनगर एक्सटेंशन, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर हाल उप निदेशक आयुर्वेद, जैसलमेर को 4 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार ए.सी.बी. की **दौसा इकाई** को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि थाना जुरहरा पर उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सोहन लाल हैड कानि. द्वारा मामले में उसके पक्ष में रिपोर्ट भिजवाने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी इकाई दौसा के **पुलिस निरीक्षक श्री विजय सिंह मीणा** एवं उनकी टीम द्वारा सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते थाना जुरहेरा के हैड कानि0 सोहन लाल पुत्र श्री पांच्याराम निवासी ग्राम वहरामदा, नदबई, भरतपुर को 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

Helpline 1064

94135-02834

ए.सी.बी. की गंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि जन संसाधन विभाग में कार्यरत उसके पिता के वेतन फिक्सेशन करने की एवज में कार्यालय सहायक अभियन्ता, घडसाना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेन्द्र कुमार एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर विनोद सिंह (संविदाकर्मी) द्वारा 1500 रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी इकाई गंगानगर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश लखोटिया** एवं उनकी टीम द्वारा सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, घडसाना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितेन्द्र कुमार एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर विनोद सिंह (संविदाकर्मी) 1500 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार ए.सी.बी. की मुख्यालय स्थित जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विवाह प्रमाण पत्र बनाने की एवज में नगर निगम हैरिटेज, किशनपोल कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर दिनेश कुमार महावर द्वारा 1 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई की **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनिता मीणा एवं उनकी टीम द्वारा** सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते नगर निगम, किशनपोल कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर दिनेश कुमार महावर पुत्र श्री 600 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।